



## प्रेस नोट जनपद खीरी

दिनांक 23.03.2021

पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी के निर्देशन एवं अपर पुलिस अधीक्षक महोदय के निकट पर्यवेक्षण में जनपद में अपराध नियंत्रण व अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के दौरान विगत 24 घंटे में जनपद के विभिन्न थानों द्वारा निम्न कार्यवाही की गयी:-

### थाना कोतवाली सदर पुलिस द्वारा हत्या की घटना का सफल अनावरण करते हुए 03 अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार



दिनांक 16.02.21 को थाना कोतवाली सदर क्षेत्रान्तर्गत ग्राम लाहोरी नगर में वीरपाल पुत्र रामविलास नि० सुजौलापुर थाना कोतवाली सदर का शव मिलने की सूचना प्राप्त हुई। सूचना पर थाना कोतवाली सदर पुलिस द्वारा तत्काल मौके पर पहुंच कर शव को पोस्टमार्टम हेतु भेजा गया। मृतक वीरपाल उपरोक्त की गुमशुदगी दिनांक 12.02.21 को दर्ज की गई थी। मृतक की पत्नी की लिखित तहरीर के आधार पर मु०अ०सं० 232/21 धारा 302/201 भादवि० पंजीकृत किया गया।

विवेचना के क्रम में कमलेश कुमार, रामदर्शन व अंकित वर्मा को पुलिस द्वारा हिरासत में लेकर, घटना में उनकी संलिप्तता के बारे में पूछताछ करने पर अभियुक्तों द्वारा जुर्म इकबाल करते हुए बताया गया कि दिनांक 10.02.21 को मृतक व अभियुक्त कमलेश के बीच शराब के नशे में जुआ खेलने को लेकर विवाद हो गया, विवाद के दौरान अभियुक्त कमलेश द्वारा मृतक वीरपाल के सर पर लोहे के रॉड से प्रहार कर उसकी हत्या कर दी गई। हत्या के बाद अपने अन्य साथियों रामदर्शन व अंकित वर्मा के साथ मिलकर उसने शव को झाड़ियों में छिपा दिया गया। घटना के सफल अनावरण पर पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम को 15,000/- ₹० का नगद पुरस्कार प्रदान किया गया है।

## विवरण गिरफ्तार अभियुक्तगण-

1. कमलेश कुमार पुत्र स्व० मंगूलाल नि० शंकरपुर थाना व जनपद खीरी वर्तमान पता इण्डियन पेट्रोल पम्प के सामने लाहोरीनगर थाना कोतवाली सदर खीरी।
2. रामदर्शन पाण्डेय उर्फ राहुल पुत्र स्व० फतेहचन्द्र पाण्डेय नि० हरीप्रसाद सुल्तानपुर थाना लहरपुर जनपद सीतापुर वर्तमान पता राजापुर मण्डी के पीछे थाना कोतवाली सदर खीरी।
3. अंकित वर्मा पुत्र वीरेन्द्र वर्मा नि० भानपुर थाना कोतवाली सदर खीरी।

## विवरण बरामदगी-

1. मृतक वीरपाल का मोबाइल फोन
2. घटना में प्रयुक्त लोहे की रॉड
3. बैट्री संचालित स्कूटी हीरो इलेक्ट्रिक

## विवरण पुलिस टीम-

1. प्रभारी निरीक्षक प्रभातेश कुमार श्रीवास्तव
2. पूर्व प्रभारी निरीक्षक सुनील कुमार सिंह
3. उ०नि० रनजीत सिंह यादव
4. हे०का० विजय शर्मा
5. हे०का० हेमन्त सिंह
6. का० कौशलेन्द्र मिश्रा
7. का० दीपक कुमार

## पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा शहीद मुख्य आरक्षी विजय शंकर शुक्ल के पार्थिव शरीर को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की गई



मुख्य आरक्षी विजय शंकर शुक्ल (पीएनओ- 890900738, आयु 51 वर्ष) पुत्र गणेश शंकर शुक्ल नि० बक्सर थाना बरवासागर जनपद उन्नाव जो चौकी संसारपुर, थाना मैलानी पर दिनांक 28.02.21 से नियुक्त थे तथा कार्डिअक डिजीज, ब्लड प्रेशर व शुगर के मरीज थे। दिनांक 22.03.21 की प्रातः समय करीब 04:30 बजे वह लघुशंका के लिए उठे तथा चक्कर आने के बाद बिस्तर पर लेट गए। सूचना पर प्रभारी चौकी संसारपुर, उ०नि० श्री सतीश चन्द्र यादव द्वारा उन्हें उपचार हेतु सीएचसी गोला ले जाया गया जहां चिकित्सकों द्वारा उन्हें मृत घोषित कर दिया गया।

आज दिनांक 23.03.21 को पुलिस लाइन्स खीरी परिसर में शहीद स्मारक पर पुलिस अधीक्षक खीरी, श्री विजय ढुल; अपर पुलिस अधीक्षक खीरी, श्री अरूण कुमार सिंह एवं अन्य अधिकारी/कर्मचारीगणों द्वारा मृतक मुख्य आरक्षी विजय शंकर शुक्ल के पार्थिव शरीर को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की गयी। तत्पश्चात पुलिस अधीक्षक महोदय व अपर पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा पार्थिव शरीर को कन्हा देकर अन्तिम विदाई दी गई।

## “मिशन शक्ति” अभियान के तहत जागरूकता व आत्मरक्षा से संबंधित कार्यक्रम



महिलाओं/बालिकाओं के विरुद्ध घटित होने वाले अपराधों, उनके उत्पीड़न की रोकथाम एवं नारी सुरक्षा, सम्मान व स्वावलंबन हेतु चलाये जा रहे “मिशन शक्ति” अभियान के अन्तर्गत दिनांक 22.03.2021 को पुलिस अधीक्षक खीरी, श्री विजय दुल के निर्देशन व अपर पुलिस अधीक्षक, श्री अरुण कुमार सिंह के पर्यवेक्षण में पुलिस लाइन खीरी सहित जनपद के तहसील एवं थानों में पुलिस द्वारा “मिशन शक्ति” अभियान के तहत जागरूकता व आत्मरक्षा से संबंधित विभिन्न कार्यक्रम का आयोजन किया गया।

उक्त अभियान के तहत पुलिस लाइन खीरी में विभिन्न विद्यालयों की छात्राओं व पुलिस परिवार की बालिकाओं को कुशल प्रशिक्षक जितेंद्र कुमार व उनकी टीम द्वारा आत्मरक्षा के गुण सिखाए गए। कार्यक्रम में क्षेत्राधिकारी सदर, अरविंद कुमार वर्मा;

क्षेत्राधिकारी, राजेश कुमार; प्रतिसार निरीक्षक, शिव नारायण सिंह; टीएसआई सूर्यमणि यादव, आर्य कन्या महाविद्यालय से डॉक्टर छम्मा तिवारी व डॉक्टर सविता साहू आदि विशेषज्ञ सम्मिलित हुए जिनके द्वारा महिला एवं बालिका सम्बन्धी अपराधों के प्रभावी रोकथाम व उनके अधिकारों के बारे में सभी को जागरूक किया गया। साथ ही छात्राओं को मित्र पुलिसिंग के बारे में अवगत कराया गया। थ ही विभिन्न हेल्प लाईन नंबर जैसे 1090 (वूमैन पावर लाइन), 181(महिला हेल्प लाइन), 108(एम्बुलेंस सेवा), 1076(मुख्यमन्त्री हेल्पलाइन), 112(पुलिस आपातकालीन सेवा), 1098(चाइल्ड हेल्पलाइन), 102(स्वास्थ्य सेवा) के सम्बंध में जानकारी दी गई तथा प्रत्येक थानों पर महिला शिकायतकर्ता के लिये स्थापित महिला हेल्प डेस्क के बारे में भी विस्तार पूर्वक जानकारी दी गयी।

**थाना ईसानगर पुलिस द्वारा अवैध शस्त्र कारतूस सहित अभियुक्त रियाज अहमद को गिरफ्तार किया गया**



पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी के निर्देशन में संपूर्ण जनपद में अवैध शस्त्रों के निर्माण, बिक्री व परिवहन के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत आज दिनांक 23.03.21 को थाना ईसानगर पुलिस द्वारा ग्रामा बेहटा से शातिर अभियुक्त रियाज अहमद पुत्र रहीश निवासी चिकनपरुवा मजरा समरदाहरी थाना ईसानगर खीरी को 01 अदद अवैध तमंचा 315 बोर व 01 अदद कारतूस सहित गिरफ्तार किया गया। उक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के संबंध में अभियुक्त के विरुद्ध मु0अ0सं0 143/21 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत कर अभियुक्त को मा0 न्यायालय भेजा गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध पूर्व से चोरी, आर्म्स एक्ट, हत्या का प्रयास आदि के करीब 1 दर्जन अभियोग पंजीकृत हैं।

## थाना ईसानगर पुलिस द्वारा अवैध तमंचा व कारतूस सहित अभियुक्त मुस्लिम को गिरफ्तार किया गया

पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन व अपर पुलिस अधीक्षक महोदय के निकट पर्यवेक्षम में संपूर्ण जनपद में अवैध शस्त्रों के निर्माण, बिक्री व परिवहन के विरुद्ध संपूर्ण जनपद में चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत थाना ईसानगर पुलिस द्वारा अभियुक्त मुस्लिम पुत्र शमशुद्दीन नि० जसवंतनगर थाना ईसानगर जनपद खीरी को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से ०१ अदद अवैध तमंचा ३१५ बोर व ०१ अदद जिन्दा कारतूस ३१५ बोर बरामद किया गया। उक्त बरामदगी व गिरफ्तारी के आधार पर मु०अ०सं० १४०/२१ धारा ३/२५ आर्म्स एक्ट में पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गई

## थाना मैगलगंज पुलिस द्वारा अवैध चाकू सहित अभियुक्त मनीराम पुत्र मोतीलाल को गिरफ्तार किया गया

पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन व अपर पुलिस अधीक्षक महोदय के निकट पर्यवेक्षण में संपूर्ण जनपद में अवैध शस्त्रों के निर्माण, बिक्री व परिवहन के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत थाना मैगलगंज पुलिस द्वारा अभियुक्त मनीराम पुत्र मोतीलाल नि० लालपुर थाना मैगलगंज जनपद खीरी को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से ०१ अदद अवैध चाकू बरामद किया गया। उक्त बरामदगी व गिरफ्तारी के आधार पर मु०अ०सं० १४०/२१ धारा ४/२५ आर्म्स एक्ट पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गई।

## अवैध शराब के विरुद्ध कार्यवाही, 185 लीटर अवैध कच्ची शराब, 06 अवैध शराब भट्टी बरामद कर 17 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया

पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी के निर्देशन व अपर पुलिस अधीक्षक महोदय के निकट पर्यवेक्षण में संपूर्ण जनपद में अवैध शराब के निष्कर्षण, बिक्री व परिवहन के विरुद्ध वृहद स्तर पर सघन अभियान चलाया जा रहा है।

अभियान के दौरान विगत 24 घण्टे में जनपद के विभिन्न थानों द्वारा कार्यवाही करते हुए 17 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर आबकारी अधिनियम के अंतर्गत 14 अभियोग पंजीकृत किये गये। 06 अवैध शराब भट्टी सहित 185 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद की गयी। साथ ही मौके पर भारी मात्रा में लहन भी नष्ट किया गया।

### वांछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी

पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी के निर्देशन में व अपर पुलिस अधीक्षक खीरी के निकट पर्यवेक्षण में संपूर्ण जनपद में अपराध की रोकथाम व वांछित अभियुक्तों/वारंटियों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के दौरान जनपद के विभिन्न थानों द्वारा कार्यवाही करते हुए निम्नलिखित अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया-

- थाना तिकुनिया पुलिस द्वारा अ0सं0 691/08 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट में वारंटी अभियुक्त तोरन उर्फ करन पुत्र बाबूराम नि0 बनवीरपुर थाना तिकुनिया को गिरफ्तार किया गया।
- थाना पसगवां पुलिस द्वारा अ0सं0 58/74 धारा 138 एनआई एक्ट में वारंटी अभियुक्त संजय शर्मा पुत्र विजय शर्मा नि0 बनवीरपुर थाना पसगवां खीरी को गिरफ्तार किया गया।